न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. नियाज अली पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 3 बी.एल.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. बाग अली पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 3 बी.एल.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. गुलाम रसूल पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 3 बी.एल.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. गुलाम अली पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 3 बी.एल.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थीगण.....

बनाम

1. नूर मोहम्मद पुत्र श्री नसीरा जाति मुसलमान निवासी 3 बी.एल.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति - 1. श्री ओम धायल वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 26/2018

निर्णय दिनांक - 30.10.19

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

प्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 3 बी. एल.एम.(ए) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 2 प.नं. 194/386 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के दादा नसीरा को आवंटन हुई थी जो कि उनके देहान्त उपरान्त उक्त भूमि नूरपरी व नूर मोहम्मद के नाम से दज हुई एवं दादी नूरपरी के देहान्त के उपरान्त उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई। इसी प्रकार उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के दादा/दादी नसीरा व नूरपरी पत्नी नसीरा से विरासत में प्राप्त हुई है। इसलिए उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाज की श्रेणी में आती है व उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण को जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है जिसका स्वयं को प्रार्थीगण जरिये प्रार्थना पत्र खातेदार टेनेन्ट घोषित

लगातार.....2

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

करवाकर विधिक विभाजन करवाकर पृथक-पृथक किला वाईज अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने एवं इस बाबत अनवानी प्रार्थना पत्र लाने के अधिकारी है। अप्राथी संख्या 1 नूर मोहम्मद के कुल 8 पुत्र व 3 पुत्रिया पैदा हुई जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पति की विधिक उत्तराधिकारी है। चूंकि उपरोक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई जद्दी जायदाद थी व इसमें अप्रार्थी संख्या 1 के सभी वारिसान का जन्म से ही हक वा हिस्सा निहित है व प्रार्थीगण का उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/12 हिस्सा बनता है। यानि हम प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा बनता है। चूंकि सभी के परिवारों में वृद्धि हो जाने से उपरोक्त जद्दी जायदाद का प्रार्थीगण' एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अन्य उतराधिकारियों ने आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर लिया। जिसमें प्राथर्रीग को चक 3 बी.एल.एम. का मु.नं. 2 प.नं'. 194/386 का किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 12, 19, 22 का 8.00 बीघा एवं किला नं. 9/0.7 बीघा कुल 8.07 बीघा भूमि हिस्सा में आयी। जिस पर मुताबिक बाहमी बंटवारा प्रार्थीग्ण अपने हिस्सा में आयी भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे एवं पिछले करीब 15 वर्षो से उपरोक्त हिस्सा में आयी भूमि पर सभी के पूर्ण ज्ञान एवं सहमति से साधिकार, शान्तिपूर्वक निरन्तर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण को बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि को प्रार्थीगण ने अपना मानते हुए उसमें अपना धन व परिश्रम खर्च कर इसे संवारा सुधारा व कृषि योग्य बनाया है व इसमें अनके प्रकार की सुविधाएं स्थापित की है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के द्वारा किये गये सुधारों की बदोलत आज भूमि की किस्म में सुधार हो गया है व अच्छी पैदावार होने लगी जिस कारण से भूमि की कीमतों में भी आशातीत वृद्धि हो चुकी है। प्रार्थीगण के द्वारा समय समय पर अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर उसे उपरोक्त जद्दी जायदाद को बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक विभाजन करवाकर प्रार्थीगण व अन्य उत्तराधिकारियों के नाम से पृथक पृथक दर्ज करवाने हेतु कहा जाता रहा है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को आश्वासन देकर टाल मटोल करता रहा। किन्तु अब प्रार्थीगण के द्वारा भूमि में किये गये सुधारों के कारण भूमि की कीमतों में वृद्धि हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के मन में लालच व बेईमानी आ गई जिसके वशीभूत होकर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को हमारे हक व हिस्सा की भूमि से महरूम करने के लिए उसे विक्रय/रहन आदि रख कर हमें बेदखल जबरन करना चाहता है जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 ने दलालों से सम्पर्क कर भूमि दिखानी प्रारम्भ कर दी। जिस पर प्रार्थीगण को उक्त बात का ज्ञान होने पर प्रार्थीगण ने आज से 10 रोज पूर्व मोतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर, अप्रार्थी संख्या 1 से सर्म्पक कर उन्हे बाहमी बंटवारा अनुसार जद्दी जायदाद में प्रार्थीगण का हक वा हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने के, लिए कहा तो अप्रार्थी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व ऐलानियां धमकी दी कि वह उक्त भूमि को आगे अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थीगण को उक्त भूमि से जबरन, बलपूर्वक महरूम एवं बेदखल करना चाहता है। बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि अप्रार्थी अपने उपरोक्त विधि विरूद्ध कृत्यो में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को जद्दी जायादाद में प्राप्त होने वाली अपने हक व हिस्सा की भूमि से एवं कब्जा काश्त में निन्तर, शान्तिपूर्वक चली आ रही भूमि से महरूम एवं बेदखल होना पडेगा जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो का हनन होगा एवं प्रार्थीगण के पास आय का कोई साधन नहीं रह जायेगा। जिससे प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला

लगातार..........3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

नुकसान होगा एवं तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से काश्त आदि में भारी परेशानी होगी एवं मुकदमा बाजी बढेगी, खर्च बढेगा व भारी असुविधा होगी जबकि अप्रार्थी को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने पर उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि चक 3 बी.एल.एम.(ए) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 2 प.नं. 194/386 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी या उसके किसी भाग को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने, प्रार्थीगण के कजा में चली आ रही भूमि में किसी प्रकार स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से दखलअंदाजी करने चल रही किसी सुविधा को बाधित या बन्द करने से बाज एवं ममनू रहे व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बाद तामील नोटिस न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। जिसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार राज की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक 3 बी.एल.एम.(ए) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 2 प.नं. 194/386 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 नूर मोहम्मद को अपने पिता व माता के देहान्त उपरान्त भूमि प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विवादित भूमि को आगे रहन, बेचान कर देता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। इसलिए प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह चक 3 बी.एल.एम.(ए) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 2 प.नं. 194/386 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी के रिकॉर्ड की यथास्थिति प्रार्थीगण के हिस्से तक वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.11.18 17:06:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: